राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बोदू बनाम रामकिशोर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1309/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. 1 व 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07/07/2025 पारित करते हुए तहसीलदार चौमू को विवादित भूमि के खाता संख्या 147 के खसरा नम्बर 6151 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6152 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6154 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6155 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6156 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6157 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6158 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6159 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6160 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6161 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल किता 10 का कुल रकबा 4.22 हैक्टेयर व खाता संख्या 148 के खसरा नम्बर 6153 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर, खाता संख्या 151 के खसरा नम्बर 6162 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6163 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6165 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6167 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6168 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6169 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7613 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 7 का कुल रकबा 2.69 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम निन्दौला, पटवार हल्का खेजरोली, भू.अ.नि. क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर के जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारो के रहवास/मकानात एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुये कब्जे काश्त के आधार पर तकासमा किये जाने के आदेश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07/07/2025 पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07/07/2025 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर आज दोनों पक्षों की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट के माध्यम से सहखातेदारान को शामलाती में दर्शाते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बोदू बनाम रामकिशोर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गयी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी त्रुटीपूर्ण कुर्रेजात के मुताबिक ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटी कारित की गयी है| विधि के प्रावधानों के अनुसरण में सहखातेदारान के मध्य विभाजन किये जाने हेतु यह आवश्यक होता है कि सन्दर्भित खाते में दर्ज सभी सहखातेदारान के मध्य विभाजन सुनिश्चित करते हुये प्रत्येक सहखातेदार का अलग से खाता व लगान कायम किया जावे किन्तु ऐसा नही कर विधिक त्रुटी कारित किया जाना स्पष्ट होता है| अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07/07/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की उपस्थिति में प्रत्येक सहखातेदार का अलग-अलग खाता व लगान दर्शाते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स कुर्रेजात तैयार करवाया जाना सुनिश्चित करते हुये पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे| तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है|

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो|

निर्णय आज दिनांक 09/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया|

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर